भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3924

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर

3924. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय देश में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर बनाने के लिए निजी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोगों का ब्यौरा क्या है, तथा स्थापित इनक्यूबेटरों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए विशिष्ट पहलों सहित वंचित पृष्ठभूमि के उद्यमियों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अन्तर्गत, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के माध्यम से निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के इन्क्यूबेटर्स को सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। एसआईएसएफएस को 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार,

स्कीम के अन्तर्गत 916.91 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित निधियन से 217 इनक्यूबेटरों का चयन किया गया है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत किए गए सभी उपाय समावेशी हैं और ये वंचित पृष्ठभूमि तथा ग्रामीण व जन-जातीय समुदायों के उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैं।

प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में ईकोसिस्टम पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग करने के लिए वाईब्रेंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम बनाने संबंधी पहलें भी शुरु की गई हैं, जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर, संसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के अंतर्गत सहयोग को सक्षम बनाते हैं। सरकार मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार संपर्कों में सहायता और निवेशक कनेक्ट के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए कॉरपोरेट संगठनों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इन उपायों को, विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

*****